नकल प्रा०पत्र सं० 490 सामान्य
न्यायालय उपजिलाधिकारी जानसठ मु० नगर
वादसं० 1/12-13 धारा-194 LR Act
सरकार ॰/॰ गुरबख्श आदि
ग्राम - खेडा गैर अहत०
परगना - भु०स० तह० - जिला मु०नगर

(14) (13)

नकल आपत्ति दि० 26/8/13

न्यायालय श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर

वाद सं0 : 1 सन् 2013

सरकार बनाम गुरबख्श

धारा 194 एल0आर0 एक्ट

ग्राम खेडा गैर अह0 परगना भु0स0

तहसील जानसठ जिला मु0नगर।

<u>आपत्ति मिनजानिब गुरमीत सिंह पुत्र श्री रघुनन्दन सिंह निवासी ग्राम रामराज परगना भुम्मा सम्भलहेडा तहसील जानसठ जिला मुजफ्फरनगर,हाल निवासी सैनिक फार्म, नई दिल्ली निम्न तथ्यों पर प्रस्तुत की जाती है</u> :-

श्रीमान जी,

1. यह कि वाद उक्त में जारी नोटिस द्वारा लेखपाल रिपोर्ट खिलाफ कानूनी, खिलाफ वाकात तथा गलत तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया है, जो काबिले कायमी न होकर काबिले इखराज है।

2. यह कि वाद उक्त में प्रस्तुत रिपोर्ट लेखपाल एवं रंजिशन साजिश के तहत् प्रस्तुत की गयी है, जिसका कोई कानूनी वजूद नहीं है।

उप जिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट
न्यायालय
जानसठ (मुजफ्फरनगर)

3. यह कि वाद उक्त में बिना किसी जांच किये एवं लेखपाल की रिपोर्ट की संस्तुति हलका कानूनगो, तहसीलदार महोदय जानसठ ने करके कानून के साथ खिलवाड़ भी किया गया है, क्योंकि एक लेखपाल गलत रिपोर्ट देता है और उसे बिना जांच किये संस्तुति करने पर हलका कानूनगो एवं तहसीलदार महोदय जानसठ भी दण्ड में पूर्ण रूप से भागी होते हैं।

R.O.P.

4. यह कि प्रार्थी के भाई अवतार सिंह पुत्र रघुननन्दन सिंह ने एक मुकदमा थाना रामराज में मु0अ0सं0-74/2013 धारा 384, 392, 504, 506, 427 आई0पी0सी0 के तहत् लेखपाल जयभगवान, लेखपाल नरेश विश्नोई, राहुल गोयल एडवोकेट आदि के खिलाफ दिनांक .1.04.2013 को पंजीकृत कराया है, जिसकी रंजिश पर लेखपाल जयभगवान ने अपने साथी हलका लेखपाल प्रताप के साथ मिलकर दि० 15/4/13 गलत रिपोर्ट भेजकर न्यायालय को भी गुमराह किया है। इस कारण भी वाद हाजा खण्डित होने योग्य है।

S.D.O.
26/8/13

5. यह कि वाद उक्त में वर्णित भूमि पर प्रार्थी/उत्तरदाता द्वारा रजिस्टर्ड मुख्तारेआम जो सब रजिस्ट्री कार्यालय जानसठ में दर्ज है, के आधार पर काबिज काश्त है और मौके पर भी प्रार्थी

क्रमशः ......

मुख्तारेआम द्वारा परवरिशकर्दा फसल खडी हुई है। हलका लेखपाल ने रंजिशन एवं ब्लैकमेल करने की नीयत से गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस कारण भी वाद हाजा खण्डित होने योग्य है (मुख्तारेआम की छायाप्रति संलग्न है)।

6. यह कि लेखपाल सराय खादर प्रताप सिंह को न्यायालय में तलब कर लिया जाये एवं उससे यह जानकारी ली जाये कि उसके क्षेत्र में जितनी भूमि सरकारी है और उन समस्त सरकारी भूमियों पर किसके कब्जे हैं। लेखपाल जयभगवान ने अपने साथी हलका लेखपाल प्रताप सिंह के साथ मिलकर सरकारी जमीनों पर अपने व्यक्तियों के कब्जे करा रखे हैं, क्योंकि पूर्व में इस क्षेत्र का चार्ज लेखपाल जयभगवान पर था। सराय खादर क्षेत्र में ऐसी अनेक जमीन है, जिनमें मूल खातेदारों का कोई अता-पता नहीं है और लेखपालों के द्वारा ऐसी जमीन चिन्हित करके स्वयं व अपने एजेंटों के माध्यम से अवैध कब्जे कर रखे हैं। इस कारण भी वाद हाजा खण्डित होने योग्य है।

7. यह कि हलका लेखपाल को न्यायालय में तलब कर उसके बयान कलमबद्ध कराये जाये कि उसके क्षेत्र में लालपुर अह0, शाहपुर, रहडवा कदीम, रहडवा जदीद, मजाहिदपुर अह0, मजाहिदपुर गैर अह0 में वर्णित समस्त खातेदार अपनी भूमि पर काबिज काश्त हैं, कितने खातेदारों की मृत्यु हो चुकी है और आज तक भी उन खातेदारों के वारिस तसदीक न करके भूमि मूल खातेदार के नाम चली आ रही है? कितने खातेदार खतौनी में वर्णित पते पर निवास नहीं कर रहे हैं? उनकी भूमि पर किसका कब्जा है? ऐसे खातेदार जिनका कोई अता-पता नहीं है, उनके खिलाफ आज तक कोई रिपोर्ट क्यों नही भेजी गई है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हलका लेखपाल को न्यायालय में तलब कर उसके बयान कराये जाकर प्रार्थी को उससे जिरह का अवसर देकर न्यायालय के समक्ष स्वयं स्पष्ट हो जायेगा कि किस तरह भूमाफिया लेखपालों के भूमियों पर अवैध कब्जे हैं और वे कैसे ब्लैकमेल करके भारी रकम ऐंठने का कार्य कर रहे हैं। श्रीमान जी, लेखपालों का एक संगठित गिरोह है, जो लेखपाल जयभगवान के इशारों पर सरकारी जमीनों, ऐसे खातेदार जिनका अता-पता नहीं चिन्हित करके अवैध कब्जे एवं बिक्री का कार्य कर रहे हैं। इसका स्पष्ट उदाहरण है कि ग्राम शाहपुर में ऐसी अनेक सीलिंग आवंटी है, जिनका कोई अता-पता नहीं। उन खातेदारों की भूमि पर लेखपाल जयभगवान एवं उसके एजेंटों का कब्जा है। ग्राम शाहपुर परगना भुम्मा सम्भलहेडा में नत्थू पुत्र हरज्ञान नामक सीलिंग आवंटी के नाम पट्टा दर्ज है, जिसका कोई अता-पता नहीं। उक्त पट्टेदार की भूमि पर स्वयं लेखपाल जयभगवान ने अवैध कब्जा कर रखा है। पहले तो अपनी रिपोर्ट में पट्टेदार का कोई अता-पता न होने के कारण जगदीप पुत्र महेन्द्र व महेन्द्र पुत्र कुन्दन के खिलाफ अवैध कब्जा करने का मुकदमा दर्ज करा देता है और फिर अपने बयान न्यायालय श्रीमान तहसीलदार जानसठ में देता है कि उस जमीन पर नत्थू पुत्र हरज्ञान का कब्जा है जबकि नत्थू पुत्र हरज्ञान नाम का कोई व्यक्ति ग्राम शाहपुर में कभी नहीं रहा और न ही उसका कभी ग्राम शाहपुर की वोटर लिस्ट में नाम अंकित है। ऐसे अनेक पट्टेदार हैं, जिनका कोई पता नहीं कि वे जिन्दा

उप जिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय जानसठ (मुजफ्फरनगर)

क्रमशः ....

(17)

=3=

हैं या मर गये। ऐसी समस्त जमीनों पर लेखपालों के कब्जे हैं। प्रार्थी का उद्देश्य न्यायालय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना है कि लेखपाल किस तरह से फर्जीवाडा करके भूमियों पर अवैध कब्ज कर रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, क्यों? सिर्फ हम सीधे-सीध काश्तकारों को हलका लेखपाल ब्लैकमेल करने नीयत से झूठी रिपोर्ट भेज देते हैं और तहसील अधिकारी/कर्मचारी आँख बन्द करके उनकी झूठी फर्जी रिपोर्ट की संस्तुति कर देते हैं, जिससे हमारा आर्थिक, मानसिक उत्पीडन किया जा रहा है।

8. यह कि उक्त भूमि लावारिस नहीं है। प्रार्थी द्वारा मुख्तारेआम उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। इस कारण भी नोटिस वापिस लिया जाकर वाद हाजा खण्डित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

9. यह कि हलका लेखपाल किस तरह फर्जीवाडा करते हैं। इसका एक साक्ष्य न्यायालय में प्रार्थी आपत्तिकर्ता दे रहा है। ग्राम हटियावाला कदीम परगना भुम्मा सम्भलहेडा के खसरा नं0-1 में वर्णित खातेदार सुरेन्द्र कुमार पुत्र काशीराम गौतम व चरण सिंह पुत्र अमर सिंह व रविन्द्रपाल पुत्र अमर सिंह निवासीगण रामराज के नाम भूमि अंकित थी। जिनकी कुछ भूमाफियाओं के द्वारा द्वारा फर्जी वसीयत बनाकर भूमि अपने नाम करायी थी, जिसमें वसीयत जांच उपरान्त सब रजिस्ट्री कार्यालय में पंजीकृत न होने के कारण दाखिल खारिज निरस्त करके भूमि मूल खातेदारों के नाम दर्ज की गयी, जिसकी जानकारी हलका लेखपाल को पूरी है। मूल खातेदारों का कोई अता-पता नहीं है और वे रामराज में नहीं रहते हैं। इस प्रकार भूमि लावारिस है, किन्तु हलका लेखपाल के द्वारा भूमि लावारिस होने की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी, क्योंकि जिन भूमाफियाओं ने फर्जी तरीके से भूमि अपने नाम करायी थी, वर्तमान में भी वे ही काबिज काश्त हैं और हलका लेखपाल का संरक्षण प्राप्त है और उसकी उन भूमियों में हिस्सेदारी है। इससे स्वयं सिद्ध है कि हलका लेखपाल किस तरह रिपोर्ट देते हैं और किस तरह रिपोर्ट छिपाते हैं। हलका लेखपाल को मय रिकार्ड के न्यायालय में तलब कर लिया जाये तो सत्यता स्वयं सिद्ध हो जायेगी।

10. यह कि उपरोक्त कारणों के आधार पर वाद हाजा खण्डित करने की कृपा करें।

आपकी अति कृपा होगी।

दिनांक :

संलग्नक :-

प्रार्थी,

1. प्रथम सूचना रिपोर्ट की छायाप्रति।

गुरमीत सिंह पुत्र श्री रघुनन्दन सिंह
निवासी ग्राम रामराज परगना भुम्मा
सम्भलहेडा तहसील जानसठ जिला
मुजफ्फरनगर हाल निवासी सैनिक फार्म,
नई दिल्ली।

FIVE RUPEES INDIA FEE Rs.5

निरस्त

उप जिलाधिकारी/उप ज़िला मजिस्ट्रेट न्यायालय जानसठ (मुजफ्फरनगर)

Copyed By Photo copy
Compared By
Words 600
Date of Application 16-4-14
Date of Notice 17-4-14
Date of Delivery 19-4-14
Stamp 5=00

सत्य प्रतिलिपि
रीडर
उप जिलाधिकारी/उप जिला मस्ट्रिेट
जानसठ
19-4-14

नकल प्रा०पत्र सं० 491 सामान्य
न्यायालय उपजिलाधिकारी जानसठ मु०नगर
वादसं० 2/12-13 धारा-192 LR Act
सरकार V/S ज्ञानसिंह
ग्राम - खेड़ागैर अह०
परगना - भू०स०
ला०कै - विचाराधीन

(18)

नकल आपत्ति दि० 26/8/13

न्यायालय श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर

वाद सं0 : 2 सन् 2013

सरकार बनाम ज्ञान सिंह

धारा 194 एल0आर0 एक्ट

ग्राम खेडा गैर अह0 परगना भु0स0

तहसील जानसठ जिला मु0नगर।

<u>आपत्ति मिनजानिब गुरमीत सिंह पुत्र श्री रघुनन्दन सिंह निवासी ग्राम रामराज परगना भुम्मा सम्‍लहेडा तहसील जानसठ जिला मुजफ्फरनगर हाल निवासी सैनिक फार्म, नई दिल्ली निम्न तथ्यों पर प्रस्तुत की जाती है :-</u>

श्रीमान जी,

1. यह कि वाद उक्त में जारी नोटिस द्वारा लेखपाल रिपोर्ट खिलाफ कानूनी, खिलाफ वाकात तथा गलत तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया है, जो कायिले कायमी न होकर काबिले इखराज है।

2. यह कि वाद उक्त में प्रस्तुत रिपोर्ट लेखपाल एवं रंजिशन साजिश के तहत् प्रस्तुत की गयी है, जिसका कोई कानूनी वजूद नहीं है।

3. यह कि वाद उक्त में बिना किसी जांच किये एवं लेखपाल की रिपोर्ट की संस्तुति हलका कानूनगो, तहसीलदार महोदय जानसठ ने करके कानून के साथ खिलावाड़ भी किया गया है, क्योंकि एक लेखपाल गलत रिपोर्ट देता है और उसे बिना जांच किये संस्तुति करने पर हलका कानूनगो एवं तहसीलदार महोदय जानसठ भी दण्ड में पूर्ण रूप से भागी होते हैं।

4. यह कि प्रार्थी के भाई अवतार सिंह पुत्र रघुनन्दन सिंह ने एक मुकदमा थाना रामराज में मु0अ0सं0-74/2013 धारा 384, 392, 504, 506, 427 आई0पी0सी0 के तहत् लेखपाल जयभगवान, लेखपाल नरेश बिश्नोई, राहुल गोयल एडवोकेट आदि के खिलाफ दिनांक .1.04.2013 को पंजीकृत कराया है, जिसकी रंजिश पर लेखपाल जयभगवान ने अपने साथी हलका लेखपाल प्रताप के साथ मिलकर (दि० 15/4/13) गलत रिपोर्ट भेजकर न्यायालय को भी गुमराह किया है। इस कारण भी वाद हाजा खण्डित होने योग्य है।

5. यह कि वाद उक्त में वर्णित भूमि पर प्रार्थी/उत्तरदाता द्वारा रजिस्टर्ड मुख्त्यारेआम जो सब रजिस्ट्री कार्यालय जानसठ में दर्ज है, के आधार पर काबिज काश्त है और मौके पर भी प्रार्थी

क्रमशः ......

न्यायालय उप जिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट जानसठ (मुजफ्फरनगर)

R.O.R.

SDO ESI 26/8/13

मुख्तारआम द्वारा परवरिशकर्दा फसल खड़ी हुई है। हलका लेखपाल ने रंजिशन एवं ब्लैकमेल करने की नीयत से गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस कारण भी वाद हाजा खण्डित होने योग्य है (मुख्तारआम की छायाप्रति संलग्न है)।

6. यह कि लेखपाल सराय खादर प्रताप सिंह को न्यायालय में तलब कर लिया जाये एवं उससे यह जानकारी ली जाये कि उसके क्षेत्र में जितनी भूमि सरकारी है और उन समस्त सरकारी भूमियों पर किसके कब्जे हैं। लेखपाल जयभगवान ने अपने साथी हलका लेखपाल प्रताप सिंह के साथ मिलकर सरकारी जमीनों पर अपने व्यक्तियों के कब्जे करा रखे हैं, क्योंकि पूर्व में इस क्षेत्र का चार्ज लेखपाल जयभगवान पर था। सराय खादर क्षेत्र में ऐसी अनेक जमीन हैं, जिनमें मूल खातेदारों का कोई अता-पता नहीं है और लेखपालों के द्वारा ऐसी जमीन चिन्हित करके स्वयं व अपने एजेंटों के माध्यम से अवैध कब्जे कर रखे हैं। इस कारण भी वाद हाजा खण्डित होने योग्य है।

7. यह कि हलका लेखपाल को न्यायालय में तलब कर उसके बयान कलमबद्ध कराये जाये कि उसके क्षेत्र में लालपुर अह0, शाहपुर, रहडवा कदीम, रहडवा जदीद, मजाहिद्पुर अह0, मजाहिद्पुर गैर अह0 में वर्णित समस्त खातेदार अपनी भूमि पर काबिज काश्त हैं, कितने खातेदारों की मृत्यु हो चुकी है और आज तक भी उन खातेदारों के वारिस तसदीक न करके भूमि मूल खातेदार के नाम चली आ रही है? कितने खातेदार खतौनी में वर्णित पते पर निवास नहीं कर रहे हैं? उनकी भूमि पर किसका कब्जा है? ऐसे खातेदार जिनका कोई अता-पता नहीं है, उनके खिलाफ आज तक कोई रिपोर्ट क्यों नहीं भेजी गई है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हलका लेखपाल को न्यायालय में तलब कर उसके बयान कराये जावकर प्रार्थी को उससे जिरह का अवसर देकर न्यायालय के समक्ष स्वयं स्पष्ट हो जायेगा कि किस तरह भूमाफिया लेखपालों के भूमियों पर अवैध कब्जे हैं और वे कैसे ब्लैकमेल करके भारी रकम ऐंठने का कार्य कर रहे हैं। श्रीमान जी, लेखपालों का एक संगठित गिरोह है, जो लेखपाल जयभगवान के इशारों पर सरकारी जमीनों, ऐसे खातेदार जिनका अता-पता नहीं चिन्हित करके अवैध कब्जे एवं बिक्री का कार्य कर रहे हैं। इसका स्पष्ट उदाहरण है कि ग्राम शाहपुर में ऐसी अनेक सीलिंग आवंटी है, जिनका कोई अता-पता नहीं। उन खातेदारों की भूमि पर लेखपाल जयभगवान एवं उसके एजेंटों का कब्जा है। ग्राम शाहपुर परगना भुम्मा सम्भलहेडा में नत्थू पुत्र हरज्ञान नामक सीलिंग आवंटी के नाम पट्टा दर्ज है, जिसका कोई अता-पता नहीं। उक्त पट्टेदार की भूमि पर स्वयं लेखपाल जयभगवान ने अवैध कब्जा कर रखा है। पहले तो अपनी रिपोर्ट में पट्टेदार का कोई अता-पता न होने के कारण जगदीप पुत्र महेन्द्र व महेन्द्र पुत्र कुन्दन के खिलाफ अवैध कब्जा करने का मुकदमा दर्ज करा देता है और फिर अपने बयान न्यायालय श्रीमान तहसीलदार जानसठ में देता है कि उस जमीन पर नत्थू पुत्र हरज्ञान का कब्जा है जबकि नत्थू पुत्र हरज्ञान नाम का कोई व्यक्ति ग्राम शाहपुर में कभी नहीं रहा और न ही उसका कभी ग्राम शाहपुर की वोटर लिस्ट में नाम अंकित है। ऐसे अनेक पट्टेदार हैं, जिनका कोई पता नहीं कि वे जिन्दा

उप जिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय जानसठ (मुजफ्फरनगर)

क्रमशः ......

हैं या मर गये। ऐसी समस्त जमीनों पर लेखपालों के कब्जे हैं। प्रार्थी का उद्देश्य न्यायालय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना है कि लेखपाल किस तरह से फर्जीवाडा करके भूमियों पर अवैध कब्ज कर रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, क्यों? सिर्फ हम सीधे-सीध काश्तकारों को हलका लेखपाल ब्लैकमेल करने नीयत से झूठी रिपोर्ट भेज देते हैं और तहसील अधिकारी/कर्मचारी आँख बन्द करके उनकी झूठी फर्जी रिपोर्ट की संस्तुति कर देते हैं, जिससे हमारा आर्थिक, मानसिक उत्पीडन किया जा रहा है।

FIVE RUPEES INDIA

निरस्त

8. यह कि उक्त भूमि लावारिस नहीं है। प्रार्थी द्वारा मुख्तारेआम उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। इस कारण भी नोटिस वापिस लिया जाकर वाद हाजा खण्डित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

9. यह कि हलका लेखपाल किस तरह फर्जीवाडा करते हैं। इसका एक साक्ष्य न्यायालय में प्रार्थी आपत्तिकर्ता दे रहा है। ग्राम हटियावाला कदीम परगना भुम्मा सम्भलहेडा के खसरा नं0-1 में वर्णित खातेदार सुरेन्द्र कुमार पुत्र काशीराम गौतम व चरण सिंह पुत्र अमर सिंह व रविन्द्रपाल पुत्र अमर सिंह निवासीगण रामराज के नाम भूमि अंकित थी। जिनकी कुछ भूमाफियाओं के द्वारा द्वारा फर्जी वसीयत बनाकर भूमि अपने नाम करायी थी, जिसमें वसीयत जांच उपरान्त सब रजिस्ट्री कार्यालय में पंजीकृत न होने के कारण दाखिल खारिज निरस्त करके भूमि मूल खातेदारों के नाम दर्ज की गयी, जिसकी जानकारी हलका लेखपाल को पूरी है। मूल खातेदारों का कोई अता-पता नहीं है और वे रामराज में नहीं रहते हैं। इस प्रकार भूमि लावारिस है, किन्तु हलका लेखपाल के द्वारा भूमि लावारिस होने की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी, क्योंकि जिन भूमाफियाओं ने फर्जी तरीके से भूमि अपने नाम करायी थी, वर्तमान में भी वे ही काबिज काश्त हैं और हलका लेखपक्षका संरक्षण प्राप्त है और उसकी उन भूमियों में हिस्सेदारी है। इससे स्वयं सिद्ध है कि हलका लेखपाल किस तरह रिपोर्ट देते हैं और किस तरह रिपोर्ट छिपाते हैं। हलका लेखपाल को मय रिकार्ड के न्यायालय में तलब कर लिया जाये तो सत्यता स्वयं सिद्ध हो जायेगी।

न्यायालय उप जिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट ★ जानसठ (मुजफ्फरनगर) ★

10. यह कि उपरोक्त कारणों के आधार पर वाद हाजा खण्डित करने की कृपा करें।

आपकी अति कृपा होगी।

दिनांक :

संलग्नक :-

1. प्रथम सूचना रिपोर्ट की छायाप्रति।

प्रार्थी,

गुरमीत सिंह पुत्र श्री रघुनन्दन सिंह निवासी ग्राम रामराज परगना भुम्मा सम्भलहेडा तहसील जानसठ जिला मुजफ्फरनगर हाल निवासी सैनिक फार्म, नई दिल्ली।

Copyed By... Photocopy
Compared By...
Words... 600
Date of Application... 16-4-14
Date of Notice... 17-4-14
Date of Delivery... 18-4-14
Stamp... 5

सत्य प्रतिलिपि

रीडर
उप जिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट
जानसठ
19-4-14

नकल प्रार्थनापत्र सं० 492 सामान्य
नकल आपत्ति दि० 26.8.13.
न्यायालय उपजिलाधिकारी जानसठ मु०नगर
वाद सं० 3/2013 धारा - 194 LR Act
सरकार बनाम हरजीत सिंह
ग्राम - खेडा गैर अहतमाल
परगना - भु० स० तारीख - विचाराधीन

नकल आपत्ति दि० 26.8.13.

न्यायालय श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर

वाद सं0 : 3 सन् 2013

सरकार बनाम हरजीत सिंह

धारा 194 एल0आर0 एक्ट

ग्राम खेडा गैर अह0 परगना भु0स0

तहसील जानसठ जिला मु0नगर।

आपत्ति मिनजानिब गुरमीत सिंह पुत्र श्री रघुनन्दन सिंह निवासी ग्राम रामराज परगना भुम्मा सम्भलहेडा तहसील जानसठ जिला मुजफ्फरनगर हाल निवासी सैनिक फार्म, नई दिल्ली निम्न तथ्यों पर प्रस्तुत की जाती है :-

उप जिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय जानसठ (मुजफ्फरनगर)

श्रीमान जी,

1. यह कि वाद उक्त में जारी नोटिस द्वारा लेखपाल रिपोर्ट खिलाफ कानूनी, खिलाफ वाकात तथा गलत तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया है, जो काबिले कायमी न होकर काबिले इखराज है।

2. यह कि वाद उक्त में प्रस्तुत रिपोर्ट लेखपाल एवं रंजिशन साजिश के तहत् प्रस्तुत की गयी है, जिसका कोई कानूनी वजूद नहीं है।

3. यह कि वाद उक्त में बिना किसी जांच किये एवं लेखपाल की रिपोर्ट की संस्तुति हलका कानूनगो, तहसीलदार महोदय जानसठ ने करके कानून के साथ खिलवाड़ भी किया गया है, क्योंकि एक लेखपाल गलत रिपोर्ट देता है और उसे बिना जांच किये संस्तुति करने पर हलका कानूनगो एवं तहसीलदार महोदय जानसठ भी दण्ड में पूर्ण रूप से भागी होते हैं।

4. यह कि प्रार्थी के भाई अवतार सिंह पुत्र रघुनन्दन सिंह ने एक मुकदमा थाना रामराज में मु0अ0सं0-74/2013 धारा 384, 392, 504, 506, 427 आई0पी0सी0 के तहत् लेखपाल जयभगवान, लेखपाल नरेश विश्नोई, राहुल गोयल एडवोकेट आदि के खिलाफ दिनांक 1.04.2013 को पंजीकृत कराया है, जिसकी रंजिश पर लेखपाल जयभगवान ने अपने साथी हलका लेखपाल प्रताप के साथ मिलकर (दि० 15/4/13) गलत रिपोर्ट भेजकर न्यायालय को भी गुमराह किया है। इस कारण भी वाद हाजा खण्डित होने योग्य है।

R.O.R.

S.D.O. (J)
26/8/13

5. यह कि वाद उक्त में वर्णित भूमि पर प्रार्थी/उत्तरदाता द्वारा रजिस्टर्ड मुख्तारेआम जो सब रजिस्ट्री कार्यालय जानसठ में दर्ज है, के आधार पर काबिज काश्त है और मौके पर भी प्रार्थी

क्रमशः ......

मुख्तारेआम द्वारा परवरिशकर्दा फसल खडी हुई है। हलका लेखपाल ने रंजिशन एवं ब्लैकमेल करने की नीयत से गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस कारण भी वाद हाजा खण्डित होने योग्य है (मुख्तारेआम की छायाप्रति संलग्न है)।

6. यह कि लेखपाल सराय खादर प्रताप सिंह को न्यायालय में तलब कर लिया जाये एवं उससे यह जानकारी ली जाये कि उसके क्षेत्र में जितनी भूमि सरकारी है और उन समस्त सरकारी भूमियों पर किसके कब्जे हैं। लेखपाल जयभगवान ने अपने साथी हलका लेखपाल प्रताप सिंह के साथ मिलकर सरकारी जमीनों पर अपने व्यक्तियों के कब्जे करा रखे हैं, क्योंकि पूर्व में इस क्षेत्र का चार्ज लेखपाल जयभगवान पर था। सराय खादर क्षेत्र में ऐसी अनेक जमीन है, जिनमें मूल खातेदारों का कोई अता-पता नहीं है और लेखपालों के द्वारा ऐसी जमीन चिन्हित करके स्वयं व अपने एजेंटों के माध्यम से अवैध कब्जे कर रखे हैं। इस कारण भी वाद हाजा खण्डित होने योग्य है।

7. यह कि हलका लेखपाल को न्यायालय में तलब कर उसके बयान कलमबद्ध कराये जाये कि उसके क्षेत्र में लालपुर अह0, शाहपुर, रहडवा कदीम, रहडवा जदीद, मजाहिद्पुर अह0, मजाहिद्पुर गैर अह0 में वर्णित समस्त खातेदार अपनी भूमि पर काबिज काश्त हैं, कितने खातेदारों की मृत्यु हो चुकी है और आज तक भी उन खातेदारों के वारिस तसदीक न करके भूमि मूल खातेदार के नाम चली आ रही है? कितने खातेदार खतौनी में वर्णित पते पर निवास नहीं कर रहे हैं? उनकी भूमि पर किसका कब्जा है? ऐसे खातेदार जिनका कोई अता-पता नहीं है, उनके खिलाफ आज तक कोई रिपोर्ट क्यों नही भेजी गई है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हलका लेखपाल को न्यायालय में तलब कर उसके बयान कराये जाकर प्रार्थी को उससे जिरह का अवसर देकर न्यायालय के समक्ष स्वयं स्पष्ट हो जायेगा कि किस तरह भूमाफिया लेखपालों के भूमियों पर अवैध कब्जे हैं और वे कैसे ब्लैकमेल करके भारी रकम ऐंठने का कार्य कर रहे हैं। श्रीमान जी, लेखपालों का एक संगठित गिरोह है, जो लेखपाल जयभगवान के इशारों पर सरकारी जमीनों, ऐसे खातेदार जिनका अता-पता नहीं चिन्हित करके अवैध कब्जे एवं बिक्री का कार्य कर रहे हैं। इसका स्पष्ट उदाहरण है कि ग्राम शाहपुर में ऐसी अनेक सीलिंग आवंटी है, जिनका कोई अता-पता नहीं। उन खातेदारों की भूमि पर लेखपाल जयभगवान एवं उसके एजेंटों का कब्जा है। ग्राम शाहपुर परगना भुम्मा सम्भलहेडा में नत्थू पुत्र हरज्ञान नामक सीलिंग आवंटी के नाम पट्टा दर्ज है, जिसका कोई अता-पता नहीं। उक्त पट्टेदार की भूमि पर स्वयं लेखपाल जयभगवान ने अवैध कब्जा कर रखा है। पहले तो अपनी रिपोर्ट में पट्टेदार का कोई अता-पता न होने के कारण जगदीप पुत्र महेन्द्र व महेन्द्र पुत्र कुन्दन के खिलाफ अवैध कब्जा करने का मुकदमा दर्ज करा देता है और फिर अपने बयान न्यायालय श्रीमान तहसीलदार जानसठ में देता है कि उस जमीन पर नत्थू पुत्र हरज्ञान का कब्जा है जबकि नत्थू पुत्र हरज्ञान नाम का कोई व्यक्ति ग्राम शाहपुर में कभी नहीं रहा और न ही उसका कभी ग्राम शाहपुर की वोटर लिस्ट में नाम अंकित है। ऐसे अनेक पट्टेदार हैं, जिनका कोई पता नहीं कि वे जिन्दा

उप जिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट
न्यायालय
जानसठ (मुजफ्फरनगर)

क्रमशः ......

हैं या मर गये। ऐसी समस्त जमीनों पर लेखपालों के कब्जे हैं। प्रार्थी का उद्देश्य न्यायालय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना है कि लेखपाल किस तरह से फर्जीवाडा करके भूमियों पर अवैध कब्ज कर रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, क्यों? सिर्फ हम सीधे-सीध काश्तकारों को हलका लेखपाल ब्लैकमेल करने नीयत से झूठी रिपोर्ट भेज देते हैं और तहसील अधिकारी/कर्मचारी आँख बन्द करके उनकी झूठी फर्जी रिपोर्ट की संस्तुति कर देते हैं, जिससे हमारा आर्थिक, मानसिक उत्पीडन किया जा रहा है।

निरस्त

8. यह कि उक्त भूमि लावारिस नहीं है। प्रार्थी द्वारा मुख्तारेआम उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। इस कारण भी नोटिस वापिस लिया जाकर वाद हाजा खण्डित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

9. यह कि हलका लेखपाल किस तरह फर्जीवाडा करते हैं। इसका एक साक्ष्य न्यायालय में प्रार्थी आपत्तिकर्ता दे रहा है। ग्राम हटियावाला कदीम परगना भुम्मा सम्भलहेडा के खसरा नं0-1 में वर्णित खातेदार सुरेन्द्र कुमार पुत्र काशीराम गौतम व चरण सिंह पुत्र अमर सिंह व रविन्द्रपाल पुत्र अमर सिंह निवासीगण रामराज के नाम भूमि अँकित थी। जिनकी कुछ भूमाफियाओं के द्वारा द्वारा फर्जी वसीयत बनाकर भूमि अपने नाम करायी थी, जिसमें वसीयत जांच उपरान्त सब रजिस्ट्री कार्यालय में पंजीकृत न होने के कारण दाखिल खारिज निरस्त करके भूमि मूल खातेदारों के नाम दर्ज की गयी, जिसकी जानकारी हलका लेखपाल को पूरी है। मूल खातेदारों का कोई अता-पता नहीं है और वे रामराज में नहीं रहते हैं। इस प्रकार भूमि लावारिस है, किन्तु हलका लेखपाल के द्वारा भूमि लावारिस होने की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी, क्योंकि जिन भूमाफियाओं ने फर्जी तरीके से भूमि अपने नाम करायी थी, वर्तमान में भी वे ही काबिज काश्त हैं और हलका लेखपाल का संरक्षण प्राप्त है और उसकी उन भूमियों में हिस्सेदारी है। इससे स्वयं सिद्ध है कि हलका लेखपाल किस तरह रिपोर्ट देते हैं और किस तरह रिपोर्ट छिपाते हैं। हलका लेखपाल को मय रिकार्ड के न्यायालय में तलब कर लिया जाये तो सत्यता स्वयं सिद्ध हो जायेगी।

उप जिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय जानसठ (मुजफ्फरनगर)

10. यह कि उपरोक्त कारणों के आधार पर वाद हाजा खण्डित करने की कृपा करें।

आपकी अति कृपा होगी।

दिनांक :

संलग्नक :-

1. प्रथम सूचना रिपोर्ट की छायाप्रति।

प्रार्थी,

गुरमीत सिंह पुत्र श्री रघुनन्दन सिंह निवासी ग्राम रामराज परगना भुम्मा सम्भलहेडा तहसील जानसठ जिला मुजफ्फरनगर हाल निवासी सैनिक फार्म, नई दिल्ली।

Copyed By: Photo copy
Compared By:
Words: 600
Date of Application: 16-4-14
Date of Notice: 17-4-14
Date of Delivery: 19-4-14
Stamp: 5

सत्य प्रतिलिपि

रीडर
उप जिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट
जानसठ
19/4/14

नकल प्रा०पत्र सं० 493 सामान्य
न्यायालय उपजिलाधिकारी जानसठ मु०नगर
वाद सं० 4/12-13 धारा- 194 LR Act
सरकार बनाम जसवन्त कौर आदि
ग्राम - खेड़ा गैर अहतमाल
परगना - भु०सं० ता० फै० - विचाराधीन

नकल आपत्ति दि० 26/8/13

(8)

न्यायालय श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर

वाद सं0 : 4 सन् 2013

सरकार बनाम जसवन्त कौर

धारा 194 एल0आर0 एक्ट

ग्राम खेडा गैर अह0 परगना भु0स0

तहसील जानसठ जिला मु0नगर।

आपत्ति मिनजानिब गुरमीत सिंह पुत्र श्री रघुनन्दन सिंह निवासी ग्राम रामराज परगना भुम्मा सम्भलहेडा तहसील जानसठ जिला मुजफ्फरनगर हाल निवासी सैनिक फार्म, नई दिल्ली निम्न तथ्यों पर प्रस्तुत की जाती है :-

श्रीमान जी,

1. यह कि वाद उक्त में जारी नोटिस द्वारा लेखपाल रिपोर्ट खिलाफ कानूनी, खिलाफ वाकात तथा गलत तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया है, जो काबिले कायमी न होकर काबिले इखराज है।

2. यह कि वाद उक्त में प्रस्तुत रिपोर्ट लेखपाल एवं रंजिशन साजिश के तहत् प्रस्तुत की गयी है, जिसका कोई कानूनी वजूद नहीं है।

3. यह कि वाद उक्त में बिना किसी जांच किये एवं लेखपाल की रिपोर्ट की संस्तुति हलका कानूनगो, तहसीलदार महोदय जानसठ ने करके कानून के साथ खिलवाड़ भी किया गया है, क्योंकि एक लेखपाल गलत रिपोर्ट देता है और उसे बिना जांच किये संस्तुति करने पर हलका कानूनगो एवं तहसीलदार महोदय जानसठ भी दण्ड में पूर्ण रूप से भागी होते हैं।

न्यायालय उप जिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट जानसठ (मुजफ्फरनगर)

4. यह कि प्रार्थी के भाई अवतार सिंह पुत्र रघुननन्दन सिंह ने एक मुकदमा थाना रामराज में मु0अ0सं0-74/2013 धारा 384, 392, 504, 506, 427 आई0पी0सी0 के तहत् लेखपाल जयभगवान, लेखपाल नरेश विश्नोई, राहुल गोयल एडवोकेट आदि के खिलाफ दिनांक .1.04.2013 को पंजीकृत कराया है, जिसकी रंजिश पर लेखपाल जयभगवान ने अपने साथी हलका लेखपाल प्रताप के साथ मिलकर गलत रिपोर्ट भेजकर न्यायालय को भी गुमराह किया है। इस कारण भी वाद हाजा खण्डित होने योग्य है।

R.O.F.
S.D.O.
26/8/13

5. यह कि वाद उक्त में वर्णित भूमि पर प्रार्थी/उत्तरदाता द्वारा रजिस्टर्ड मुख्तारेआम जो सब रजिस्ट्री कार्यालय जानसठ में दर्ज है, के आधार पर काबिज काश्त है और मौके पर भी प्रार्थी

क्रमशः ....

मुख्तारआम द्वारा परवरिशकर्दा फसल खडी हुई है। हलका लेखपाल ने रंजिशन एवं ब्लैकमेल करने की नीयत से गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस कारण भी वाद हाजा खण्डित होने योग्य है (मुख्तारेआम की छायाप्रति संलग्न है)।

6. यह कि लेखपाल सराय खादर प्रताप सिंह को न्यायालय में तलब कर लिया जाये एवं उससे यह जानकारी ली जाये कि उसके क्षेत्र में जितनी भूमि सरकारी है और उन समस्त सरकारी भूमियों पर किसके कब्जे हैं। लेखपाल जयभगवान ने अपने साथी हलका लेखपाल प्रताप सिंह के साथ मिलकर सरकारी जमीनों पर अपने व्यक्तियों के कब्जे करा रखे हैं, क्योंकि पूर्व में इस क्षेत्र का चार्ज लेखपाल जयभगवान पर था। सराय खादर क्षेत्र में ऐसी अनेक जमीन है, जिनमें मूल खातेदारों का कोई अता-पता नहीं है और लेखपालों के द्वारा ऐसी जमीन चिन्हित करके स्वयं व अपने एजेंटों के माध्यम से अवैध कब्जे कर रखे हैं। इस कारण भी वाद हाजा खण्डित होने योग्य है।

7. यह कि हलका लेखपाल को न्यायालय में तलब कर उसके बयान कलमबद्ध कराये जाये कि उसके क्षेत्र में लालपुर अह0, शाहपुर, रहडवा कदीम, रहडवा जदीद, मजाहिद्पुर अह0, मजाहिद्पुर गैर अह0 में वर्णित समस्त खातेदार अपनी भूमि पर काबिज काश्त हैं, कितने खातेदारों की मृत्यु हो चुकी है और आज तक भी उन खातेदारों के वारिस तसदीक न करके भूमि मूल खातेदार के नाम चली आ रही है? कितने खातेदार खतौनी में वर्णित पते पर निवास नहीं कर रहे हैं? उनकी भूमि पर किसका कब्जा है? ऐसे खातेदार जिनका कोई अता-पता नहीं है, उनके खिलाफ आज तक कोई रिपोर्ट क्यों नही भेजी गई है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हलका लेखपाल को न्यायालय में तलब कर उसके बयान कराये जाकर प्रार्थी को उससे जिरह का अवसर देकर न्यायालय के समक्ष स्वयं स्पष्ट हो जायेगा कि किस तरह भूमाफिया लेखपालों के भूमियों पर अवैध कब्जे हैं और वे कैसे ब्लैकमेल करके भारी रकम ऐंठने का कार्य कर रहे हैं। श्रीमान जी, लेखपालों का एक संगठित गिरोह है, जो लेखपाल जयभगवान के इशारों पर सरकारी जमीनों, ऐसे खातेदार जिनका अता-पता नहीं चिन्हित करके अवैध कब्जे एवं बिक्री का कार्य कर रहे हैं। इसका स्पष्ट उदाहरण है कि ग्राम शाहपुर में ऐसी अनेक सीलिंग आवंटी है, जिनका कोई अता-पता नहीं। उन खातेदारों की भूमि पर लेखपाल जयभगवान एवं उसके एजेंटों का कब्जा है। ग्राम शाहपुर परगना भुम्मा सम्भलहेडा में नत्थू पुत्र हरज्ञान नामक सीलिंग आवंटी के नाम पट्टा दर्ज है, जिसका कोई अता-पता नहीं। उक्त पट्टेदार की भूमि पर स्वयं लेखपाल जयभगवान ने अवैध कब्जा कर रखा है। पहले तो अपनी रिपोर्ट में पट्टेदार का कोई अता-पता न होने के कारण जगदीप पुत्र महेन्द्र व महेन्द्र पुत्र कुन्दन के खिलाफ अवैध कब्जा करने का मुकदमा दर्ज करा देता है और फिर अपने बयान न्यायालय श्रीमान तहसीलदार जानसठ में देता है कि उस जमीन पर नत्थू पुत्र हरज्ञान का कब्जा है जबकि नत्थू पुत्र हरज्ञान नाम का कोई व्यक्ति ग्राम शाहपुर में कभी नहीं रहा और न ही उसका कभी ग्राम शाहपुर की वोटर लिस्ट में नाम अंकित है। ऐसे अनेक पट्टेदार हैं, जिनका कोई पता नहीं कि वे जिन्दा

उप जिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय जानसठ (मुजफ्फरनगर)

क्रमशः ....

हैं या मर गये। ऐसी समस्त जमीनों पर लेखपालों के कब्जे हैं। प्रार्थी का उद्देश्य न्यायालय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना है कि लेखपाल किस तरह से फर्जीवाडा करके भूमियों पर अवैध कब्ज कर रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, क्यों? सिर्फ हम सीधे-सीध काश्तकारों को हलका लेखपाल ब्लैकमेल करने नीयत से झूठी रिपोर्ट भेज देते हैं और तहसील अधिकारी/कर्मचारी आँख बन्द करके उनकी झूठी फ़र्जी रिपोर्ट की संस्तुति कर देते हैं, जिससे हमारा आर्थिक, मानसिक उत्पीडन किया जा रहा है।

8. यह कि उक्त भूमि लावारिस नहीं है। प्रार्थी द्वारा मुख्तारेआम उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। इस कारण भी नोटिस वापिस लिया जाकर वाद हाजा खण्डित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

9. यह कि हलका लेखपाल किस तरह फर्जीवाडा करते हैं। इसका एक साक्ष्य न्यायालय में प्रार्थी आपत्तिकर्ता दे रहा है। ग्राम हटियावाला कदीम परगना भुम्मा सम्भलहेडा के खसरा नं0-1 में वर्णित खातेदार सुरेन्द्र कुमार पुत्र काशीराम गौतम व चरण सिंह पुत्र अमर सिंह व रविन्द्रपाल पुत्र अमर सिंह निवासीगण रामराज के नाम भूमि अंकित थी। जिनकी कुछ भूमाफियाओं के द्वारा द्वारा फर्जी वसीयत बनाकर भूमि अपने नाम करायी थी, जिसमें वसीयत जांच उपरान्त सब रजिस्ट्री कार्यालय में पंजीकृत न होने के कारण दाखिल खारिज निरस्त करके भूमि मूल खातेदारों के नाम दर्ज की गयी, जिसकी जानकारी हलका लेखपाल को पूरी है। मूल खातेदारों का कोई अता-पता नहीं है और वे रामराज में नहीं रहते हैं। इस प्रकार भूमि लावारिस है, किन्तु हलका लेखपाल के द्वारा भूमि लावारिस होने की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी, क्योंकि जिन भूमाफियाओं ने फर्जी तरीके से भूमि अपने नाम करायी थी, वर्तमान में भी वे ही काबिज काश्त हैं और हलका लेखपाल का संरक्षण प्राप्त है और उसकी उन भूमियों में हिस्सेदारी है। इससे स्वयं सिद्ध है कि हलका लेखपाल किस तरह रिपोर्ट देते हैं और किस तरह रिपोर्ट छिपाते हैं। हलका लेखपाल को मय रिकार्ड के न्यायालय में तलब कर लिया जाये तो सत्यता स्वयं सिद्ध हो जायेगी।

10. यह कि उपरोक्त कारणों के आधार पर वाद हाजा खण्डित करने की कृपा करें।

आपकी अति कृपा होगी।

दिनांक :

संलग्नक :-

1. प्रथम सूचना रिपोर्ट की छायाप्रति।

प्रार्थी

गुरमीत सिंह पुत्र श्री रघुनन्दन सिंह निवासी ग्राम रामराज परगना भुम्मा सम्भलहेडा तहसील जानसठ जिला मुजफ्फरनगर हाल निवासी सैनिक फार्म, नई दिल्ली।

निरस्त

न्यायालय उप जिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट जानसठ (मुजफ्फरनगर)

Copyed By Photo copy
Compared By
Words 600
Date of Application 16-4-14
Date of Notice 17-4-14
Date of Delivery 19-4-14
Stamp 5

सत्य प्रतिलिपि
रीडर
उप जिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट
जानसठ
19.4.14

नकल आ०पत्र सं० 495 सामान्य
न्यायालय उपजिलाधिकारी जानसठ मु०नगर
वाद सं० 5/2013 धारा-194 LR Act
सरकार बनाम कालूसिंह आदि
ग्राम- खेड़ा गैर अहतमाल परगना-भु०स०
तहसील- जानसठ

नकल आपत्ति दि० 26/8/13

(23)

न्यायालय श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर

वाद सं0 : 5 सन् 2013

सरकार बनाम कालूसिंह

धारा 194 एल0आर0 एक्ट

ग्राम खेडा गैर अह0 परगना भु0स0

तहसील जानसठ जिला मु0नगर।

<u>आपत्ति मिनजानिब गुरमीत सिंह पुत्र श्री रघुनन्दन सिंह निवासी ग्राम रामराज परगना भुम्मा सम्भलहेडा तहसील जानसठ जिला मुजफ्फरनगर हाल निवासी सैनिक फार्म, नई दिल्ली निम्न तथ्यों पर प्रस्तुत की जाती है</u> :-

श्रीमान जी,

1. यह कि वाद उक्त में जारी नोटिस द्वारा लेखपाल रिपोर्ट खिलाफ कानूनी, खिलाफ वाकात तथा गलत तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया है, जो काबिले कायमी न होकर काबिले इखराज है।

2. यह कि वाद उक्त में प्रस्तुत रिपोर्ट लेखपाल एवं रंजिशन साजिश के तहत् प्रस्तुत की गयी है, जिसका कोई कानूनी वजूद नहीं है।

उप जिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय जानसठ (मुजफ्फरनगर)

3. यह कि वाद उक्त में बिना किसी जांच किये एवं लेखपाल की रिपोर्ट की संस्तुति हलका कानूनगो, तहसीलदार महोदय जानसठ ने करके कानून के साथ खिलवाड़ भी किया गया है, क्योंकि एक लेखपाल गलत रिपोर्ट देता है और उसे बिना जांच किये संस्तुति करने पर हलका कानूनगो एवं तहसीलदार महोदय जानसठ भी दण्ड में पूर्ण रूप से भागी होते हैं।

R.O.R.

4. यह कि प्रार्थी के भाई अवतार सिंह पुत्र रघुननन्दन सिंह ने एक मुकदमा थाना रामराज में मु0अ0सं0-74/2013 धारा 384, 392, 504, 506, 427 आई0पी0सी0 के तहत् लेखपाल जयभगवान, लेखपाल नरेश विश्नोई, राहुल गोयल एडवोकेट आदि के खिलाफ दिनांक 1.04.2013 को पंजीकृत कराया है, जिसकी रंजिश पर लेखपाल जयभगवान ने अपने साथी हलका लेखपाल प्रताप के साथ मिलकर (दि. 15/4/13) गलत रिपोर्ट भेजकर न्यायालय को भी गुमराह किया है। इस कारण भी वाद हाजा खण्डित होने योग्य है।

S.D.O.(J)
26/8/13

5. यह कि वाद उक्त में वर्णित भूमि पर प्रार्थी/उत्तरदाता द्वारा रजिस्टर्ड मुख्तारेआम जो सब रजिस्ट्री कार्यालय जानसठ में दर्ज है, के आधार पर काबिज काश्त है और मौके पर भी प्रार्थी

क्रमशः ....

मुख्तारआम द्वारा परवरिशकर्दा फसल खडी हुई है। हलका लेखपाल ने रंजिशन एवं ब्लैकमेल करने की नीयत से गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस कारण भी वाद हाजा खण्डित होने योग्य है (मुख्तारेआम की छायाप्रति संलग्न है)।

6. यह कि लेखपाल सराय खादर प्रताप सिंह को न्यायालय में तलब कर लिया जाये एवं उससे यह जानकारी ली जाये कि उसके क्षेत्र में जितनी भूमि सरकारी है और उन समस्त सरकारी भूमियों पर किसके कब्जे हैं। लेखपाल जयभगवान ने अपने साथी हलका लेखपाल प्रताप सिंह के साथ मिलकर सरकारी जमीनों पर अपने व्यक्तियों के कब्जे करा रखे हैं, क्योंकि पूर्व में इस क्षेत्र का चार्ज लेखपाल जयभगवान पर था। सराय खादर क्षेत्र में ऐसी अनेक जमीन है, जिनमें मूल खातेदारों का कोई अता-पता नहीं है और लेखपालों के द्वारा ऐसी जमीन चिन्हित करके स्वयं व अपने एजेंटों के माध्यम से अवैध कब्जे कर रखे हैं। इस कारण भी वाद हाजा खण्डित होने योग्य है।

7. यह कि हलका लेखपाल को न्यायालय में तलब कर उसके बयान कलमबद्ध कराये जाये कि उसके क्षेत्र में लालपुर अह0, शाहपुर, रहडवा कदीम, रहडवा जदीद, मजाहिद्पुर अह0, मजाहिद्पुर गैर अह0 में वर्णित समस्त खातेदार अपनी भूमि पर काबिज काश्त हैं, कितने खातेदारों की मृत्यु हो चुकी है और आज तक भी उन खातेदारों के वारिस तसदीक न करके भूमि मूल खातेदार के नाम चली आ रही है? कितने खातेदार खतौनी में वर्णित पते पर निवास नहीं कर रहे हैं? उनकी भूमि पर किसका कब्जा है? ऐसे खातेदार जिनका कोई अता-पता नहीं है, उनके खिलाफ आज तक कोई रिपोर्ट क्यों नही भेजी गई है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हलका लेखपाल को न्यायालय में तलब कर उसके बयान कराये जाकर प्रार्थी को उससे जिरह का अवसर देकर न्यायालय के समक्ष स्वयं स्पष्ट हो जायेगा कि किस तरह भूमाफिया लेखपालों के भूमियों पर अवैध कब्जे हैं और वे कैसे ब्लैकमेल करके भारी रकम ऐंठने का कार्य कर रहे हैं। श्रीमान जी, लेखपालों का एक संगठित गिरोह है, जो लेखपाल जयभगवान के इशारों पर सरकारी जमीनों, ऐसे खातेदार जिनका अता-पता नहीं चिन्हित करके अवैध कब्जे एवं बिक्री का कार्य कर रहे हैं। इसका स्पष्ट उदाहरण है कि ग्राम शाहपुर में ऐसी अनेक सीलिंग आवंटी है, जिनका कोई अता-पता नहीं। उन खातेदारों की भूमि पर लेखपाल जयभगवान एवं उसके एजेंटों का कब्जा है। ग्राम शाहपुर परगना भुम्मा सम्भलहेडा में नत्थू पुत्र हरज्ञान नामक सीलिंग आवंटी के नाम पट्टा दर्ज है, जिसका कोई अता-पता नहीं। उक्त पट्टेदार की भूमि पर स्वयं लेखपाल जयभगवान ने अवैध कब्जा कर रखा है। पहले तो अपनी रिपोर्ट में पट्टेदार का कोई अता-पता न होने के कारण जगदीप पुत्र महेन्द्र व महेन्द्र पुत्र कुन्दन के खिलाफ अवैध कब्जा करने का मुकदमा दर्ज करा देता है और फिर अपने बयान न्यायालय श्रीमान तहसीलदार जानसठ में देता है कि उस जमीन पर नत्थू पुत्र हरज्ञान का कब्जा है जबकि नत्थू पुत्र हरज्ञान नाम का कोई व्यक्ति ग्राम शाहपुर में कभी नहीं रहा और न ही उसका कभी ग्राम शाहपुर की वोटर लिस्ट में नाम अंकित है। ऐसे अनेक पट्टेदार हैं, जिनका कोई पता नहीं कि वे जिन्दा

उप जिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय जानसठ (मुजफ्फरनगर)

क्रमशः ......

हैं या मर गये। ऐसी समस्त जमीनों पर लेखपालों के कब्जे हैं। प्रार्थी का उद्देश्य न्यायालय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना है कि लेखपाल किस तरह से फर्जीवाडा करके भूमियों पर अवैध कब्जा कर रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, क्यों? सिर्फ हम सीधे-सीध काश्तकारों को हलका लेखपाल ब्लैकमेल करने नीयत से झूठी रिपोर्ट भेज देते हैं और तहसील अधिकारी/कर्मचारी आँख बन्द करके उनकी झूठी फर्जी रिपोर्ट की संस्तुति कर देते हैं, जिससे हमारा आर्थिक, मानसिक उत्पीडन किया जा रहा है।

INDIA COURT FEE FIVE RUPEES निरस्त

8. यह कि उक्त भूमि लावारिस नहीं है। प्रार्थी द्वारा मुख्तारेआम उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। इस कारण भी नोटिस वापिस लिया जाकर वाद हाजा खण्डित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

9. यह कि हलका लेखपाल किस तरह फर्जीवाडा करते हैं। इसका एक साक्ष्य न्यायालय में प्रार्थी आपत्तिकर्ता दे रहा है। ग्राम हटियावाला कदीम परगना भुम्मा सम्भलहेडा के खसरा नं0-1 में वर्णित खातेदार सुरेन्द्र कुमार पुत्र काशीराम गौतम व चरण सिंह पुत्र अमर सिंह व रविन्द्रपाल पुत्र अमर सिंह निवासीगण रामराज के नाम भूमि अंकित थी। जिनकी कुछ भूमाफियाओं के द्वारा द्वारा फर्जी वसीयत बनाकर भूमि अपने नाम करायी थी, जिसमें वसीयत जांच उपरान्त सब रजिस्ट्री कार्यालय में पंजीकृत न होने के कारण दाखिल खारिज निरस्त करके भूमि मूल खातेदारों के नाम दर्ज की गयी, जिसकी जानकारी हलका लेखपाल को पूरी है। मूल खातेदारों का कोई अता-पता नहीं है और वे रामराज में नहीं रहते हैं। इस प्रकार भूमि लावारिस है, किन्तु हलका लेखपाल के द्वारा भूमि लावारिस होने की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी, क्योंकि जिन भूमाफियाओं ने फर्जी तरीके से भूमि अपने नाम करायी थी, वर्तमान में भी वे ही काबिज काश्त हैं और हलका लेखपाल का संरक्षण प्राप्त है और उसकी उन भूमियों में हिस्सेदारी है। इससे स्वयं सिद्ध है कि हलका लेखपाल किस तरह रिपोर्ट देते हैं और किस तरह रिपोर्ट छिपाते हैं। हलका लेखपाल को मय रिकार्ड के न्यायालय में तलब कर लिया जाये तो सत्यता स्वयं सिद्ध हो जायेगी।

उप जिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय जानसठ (मुजफ्फरनगर)

10. यह कि उपरोक्त कारणों के आधार पर वाद हाजा खण्डित करने की कृपा करें।

आपकी अति कृपा होगी।

दिनांक :

संलग्नक :-

प्रार्थी,

1. प्रथम सूचना रिपोर्ट की छायाप्रति।

गुरमीत सिंह पुत्र श्री रघुनन्दन सिंह
निवासी ग्राम रामराज परगना भुम्मा
सम्भलहेडा तहसील जानसठ जिला
मुजफ्फरनगर हाल निवासी सैनिक फार्म,
नई दिल्ली।

Copyed By Photo copy
Compared By
Words 600
Date of Application 16-4-14
Date of Notice 17-4-14
Date of Delivery 19-4-14
Stamp 5=00

सत्य प्रतिलिपि
रीडर
उप जिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट
जानसठ
19.4.14

नकल प्र० पत्र सं० 495 सामान्य
न्यायालय उपजिलाधिकारी जानसठ मु०नगर
वादसं० 6/12-13 धारा-194 LR Act
सरकार बनाम गुरनामसिंह ग्राम - खेड़ागैर अहतमाल
परगना - भू०स० तहसील - जि०मु०न०

(33)

नकल आपत्ति दि० 26/8/13

न्यायालय श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर

वाद सं0 : 6 सन् 2013

सरकार बनाम गुरनाम

धारा 194 एल0आर0 एक्ट

ग्राम खेडा गैर अह0 परगना भु0स0

तहसील जानसठ जिला मु0नगर।

आपत्ति मिनजानिब गुरमीत सिंह पुत्र श्री रघुनन्दन सिंह निवासी ग्राम रामराज परगना भुम्मा सम्भलहेडा तहसील जानसठ जिला मुजफ्फरनगर हाल निवासी सैनिक फार्म, नई दिल्ली निम्न तथ्यों पर प्रस्तुत की जाती है :-

श्रीमान जी,

1. यह कि वाद उक्त में जारी नोटिस द्वारा लेखपाल रिपोर्ट खिलाफ कानूनी, खिलाफ वाकात तथा गलत तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया है, जो काबिले कायमी न होकर काबिले इखराज है।

2. यह कि वाद उक्त में प्रस्तुत रिपोर्ट लेखपाल एवं रंजिशन साजिश के तहत् प्रस्तुत की गयी है, जिसका कोई कानूनी वजूद नहीं है।

3. यह कि वाद उक्त में बिना किसी जांच किये एवं लेखपाल की रिपोर्ट की संस्तुति हलका कानूनगो, तहसीलदार महोदय जानसठ ने करके कानून के साथ खिलवाड़ भी किया गया है, क्योंकि एक लेखपाल गलत रिपोर्ट देता है और उसे बिना जांच किये संस्तुति करने पर हलका कानूनगो एवं तहसीलदार महोदय जानसठ भी दण्ड में पूर्ण रूप से भागी होते हैं।

उप ज़िलाधिकारी/उप ज़िला मजिस्ट्रेट न्यायालय जानसठ (मुजफ्फरनगर)

4. यह कि प्रार्थी के भाई अवतार सिंह पुत्र रघुननन्दन सिंह ने एक मुकदमा थाना रामराज में मु0अ0सं0-74/2013 धारा 384, 392, 504, 506, 427 आई0पी0सी0 के तहत् लेखपाल जयभगवान, लेखपाल नरेश विश्नोई, राहुल गोयल एडवोकेट आदि के खिलाफ दिनांक .1.04.2013 को पंजीकृत कराया है, जिसकी रंजिश पर लेखपाल जयभगवान ने अपने साथी हलका लेखपाल प्रताप के साथ मिलकर दि० 15/4/13 गलत रिपोर्ट भेजकर न्यायालय को भी गुमराह किया है। इस कारण भी वाद हाजा खण्डित होने योग्य है।

SDM 26-8-13

5. यह कि वाद उक्त में वर्णित भूमि पर प्रार्थी/उत्तरदाता द्वारा रजिस्टर्ड मुख्तारेआम जो सब रजिस्ट्री कार्यालय जानसठ में दर्ज है, के आधार पर काबिज काश्त है और मौके पर भी प्रार्थी

क्रमशः ....

मुख्तारेआम द्वारा परवरिशकर्दा फसल खडी हुई है। हलका लेखपाल ने रंजिशन एवं ब्लैकमेल करने की नीयत से गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस कारण भी वाद हाजा खण्डित होने योग्य है (मुख्तारेआम की छायाप्रति संलग्न है)।

6. यह कि लेखपाल सराय खादर प्रताप सिंह को न्यायालय में तलब कर लिया जाये एवं उससे यह जानकारी ली जाये कि उसके क्षेत्र में जितनी भूमि सरकारी है और उन समस्त सरकारी भूमियों पर किसके कब्जे हैं। लेखपाल जयभगवान ने अपने साथी हलका लेखपाल प्रताप सिंह के साथ मिलकर सरकारी जमीनों पर अपने व्यक्तियों के कब्जे करा रखे हैं, क्योंकि पूर्व में इस क्षेत्र का चार्ज लेखपाल जयभगवान पर था। सराय खादर क्षेत्र में ऐसी अनेक जमीन है, जिनमें मूल खातेदारों का कोई अता-पता नहीं है और लेखपालों के द्वारा ऐसी जमीन चिन्हित करके स्वयं व अपने एजेंटों के माध्यम से अवैध कब्जे कर रखे हैं। इस कारण भी वाद हाजा खण्डित होने योग्य है।

7. यह कि हलका लेखपाल को न्यायालय में तलब कर उसके बयान कलमबद्ध कराये जाये कि उसके क्षेत्र में लालपुर अह0, शाहपुर, रहडवा कदीम, रहडवा जदीद, मजाहिदपुर अह0, मजाहिदपुर गैर अह0 में वर्णित समस्त खातेदार अपनी भूमि पर काबिज काश्त हैं, कितने खातेदारों की मृत्यु हो चुकी है और आज तक भी उन खातेदारों के वारिस तसदीक न करके भूमि मूल खातेदार के नाम चली आ रही है? कितने खातेदार खतौनी में वर्णित पते पर निवास नहीं कर रहे हैं? उनकी भूमि पर किसका कब्जा है? ऐसे खातेदार जिनका कोई अता-पता नहीं है, उनके खिलाफ आज तक कोई रिपोर्ट क्यों नही भेजी गई है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हलका लेखपाल को न्यायालय में तलब कर उसके बयान कराये जाकर प्रार्थी को उससे जिरह का अवसर देकर न्यायालय के समक्ष स्वयं स्पष्ट हो जायेगा कि किस तरह भूमाफिया लेखपालों के भूमियों पर अवैध कब्जे हैं और वे कैसे ब्लैकमेल करके भारी रकम ऐंठने का कार्य कर रहे हैं। श्रीमान जी, लेखपालों का एक संगठित गिरोह है, जो लेखपाल जयभगवान के इशारों पर सरकारी जमीनों, ऐसे खातेदार जिनका अता-पता नहीं चिन्हित करके अवैध कब्जे एवं बिक्री का कार्य कर रहे हैं। इसका स्पष्ट उदाहरण है कि ग्राम शाहपुर में ऐसी अनेक सीलिंग आवंटी है, जिनका कोई अता-पता नहीं। उन खातेदारों की भूमि पर लेखपाल जयभगवान एवं उसके एजेंटों का कब्जा है। ग्राम शाहपुर परगना भुम्मा सम्भलहेडा में नत्थू पुत्र हरज्ञान नामक सीलिंग आवंटी के नाम पट्टा दर्ज है, जिसका कोई अता-पता नहीं। उक्त पट्टेदार की भूमि पर स्वयं लेखपाल जयभगवान ने अवैध कब्जा कर रखा है। पहले तो अपनी रिपोर्ट में पट्टेदार का कोई अता-पता न होने के कारण जगदीप पुत्र महेन्द्र व महेन्द्र पुत्र कुन्दन के खिलाफ अवैध कब्जा करने का मुकदमा दर्ज करा देता है और फिर अपने बयान न्यायालय श्रीमान तहसीलदार जानसठ में देता है कि उस जमीन पर नत्थू पुत्र हरज्ञान का कब्जा है जबकि नत्थू पुत्र हरज्ञान नाम का कोई व्यक्ति ग्राम शाहपुर में कभी नहीं रहा और न ही उसका कभी ग्राम शाहपुर की वोटर लिस्ट में नाम अंकित है। ऐसे अनेक पट्टेदार हैं, जिनका कोई पता नहीं कि वे जिन्दा

उप जिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय जानसठ (मुजफ्फरनगर)

क्रमशः ....

हैं या मर गये। ऐसी समस्त जमीनों पर लेखपालों के कब्जे हैं। प्रार्थी का उद्देश्य न्यायालय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना है कि लेखपाल किस तरह से फर्जीवाडा करके भूमियों पर अवैध कब्ज कर रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, क्यों? सिर्फ हम सीधे-सीध काश्तकारों को हलका लेखपाल ब्लैकमेल करने नीयत से झूठी रिपोर्ट भेज देते हैं और तहसील अधिकारी/कर्मचारी आँख बन्द करके उनकी झूठी फर्जी रिपोर्ट की संस्तुति कर देते हैं, जिससे हमारा आर्थिक, मानसिक उत्पीडन किया जा रहा है।

8. यह कि उक्त भूमि लावारिस नहीं है। प्रार्थी द्वारा मुख्तारेआम उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। इस कारण भी नोटिस वापिस लिया जाकर वाद हाजा खण्डित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

9. यह कि हलका लेखपाल किस तरह फर्जीवाडा करते हैं। इसका एक साक्ष्य न्यायालय में प्रार्थी आपत्तिकर्ता दे रहा है। ग्राम हटियावाला कदीम परगना भुम्मा सम्भलहेडा के खसरा नं0-1 में वर्णित खातेदार सुरेन्द्र कुमार पुत्र काशीराम गौतम व चरण सिंह पुत्र अमर सिंह व रविन्द्रपाल पुत्र अमर सिंह निवासीगण रामराज के नाम भूमि अंकित थी। जिनकी कुछ भूमाफियाओं के द्वारा द्वारा फर्जी वसीयत बनाकर भूमि अपने नाम करायी थी, जिसमें वसीयत जांच उपरान्त सब रजिस्ट्री कार्यालय में पंजीकृत न होने के कारण दाखिल खारिज निरस्त करके भूमि मूल खातेदारों के नाम दर्ज की गयी, जिसकी जानकारी हलका लेखपाल को पूरी है। मूल खातेदारों का कोई अता-पता नहीं है और वे रामराज में नहीं रहते हैं। इस प्रकार भूमि लावारिस है, किन्तु हलका लेखपाल के द्वारा भूमि लावारिस होने की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी, क्योंकि जिन भूमाफियाओं ने फर्जी तरीके से भूमि अपने नाम करायी थी, वर्तमान में भी वे ही काबिज काश्त हैं और हलका लेखपाल का संरक्षण प्राप्त है और उसकी उन भूमियों में हिस्सेदारी है। इससे स्वयं सिद्ध है कि हलका लेखपाल किस तरह रिपोर्ट देते हैं और किस तरह रिपोर्ट छिपाते हैं। हलका लेखपाल को मय रिकार्ड के न्यायालय में तलब कर लिया जाये तो सत्यता स्वयं सिद्ध हो जायेगी।

10. यह कि उपरोक्त कारणों के आधार पर वाद हाजा खण्डित करने की कृपा करें।

आपकी अति कृपा होगी।

दिनांक :

संलग्नक :-

1. प्रथम सूचना रिपोर्ट की छायाप्रति।

प्रार्थी

गुरमीत सिंह पुत्र श्री रघुनन्दन सिंह
निवासी ग्राम रामराज परगना भुम्मा
सम्भलहेडा तहसील जानसठ जिला
मुजफ्फरनगर हाल निवासी सैनिक फार्म,
नई दिल्ली।

निरस्त

न्यायालय उप जिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट जानसठ (मुजफ्फरनगर)

Copyed By Photo copy
Compared By
Words 600
Date of Application 15-5-15
Date of Notice 17-5-15
Date of Delivery 19-5-15
Stamp 5=00

सत्य प्रतिलिपि
रीडर
उप जिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट
जानसठ
19/5/15

नकल प्रार्थनापत्र सं० 596 सामान्य
न्यायालय उपजिलाधिकारी जानसठ उ०नगर
वाद सं० 7/1243 धारा- 194 L.R. Act
सरकार बनाम सूरतसिंह
ग्राम- खेड़ा गैर अहतमाल
परगना- भु०सं० तह० - जिला मु०नगर

(28)

नकल आवेदन दि० 26/8/13

न्यायालय श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर

वाद सं0 : 7 सन् 2013

सरकार बनाम सूरत सिंह

धारा 194 एल0आर0 एक्ट

ग्राम खेडा गैर अह0 परगना भु0स0

तहसील जानसठ जिला मु0नगर।

<u>आपत्ति मिनजानिब गुरमीत सिंह पुत्र श्री रघुनन्दन सिंह निवासी ग्राम रामराज परगना भुम्मा सम्भलहेडा तहसील जानसठ जिला मुजफ्फरनगर हाल निवासी सैनिक फार्म, नई दिल्ली निम्न तथ्यों पर प्रस्तुत की जाती है</u> :-

श्रीमान जी,

1. यह कि वाद उक्त में जारी नोटिस द्वारा लेखपाल रिपोर्ट खिलाफ कानूनी, खिलाफ वाकात तथा गलत तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया है, जो काबिले कायमी न होकर काबिले इखराज है।

2. यह कि वाद उक्त में प्रस्तुत रिपोर्ट लेखपाल एवं रंजिशन साजिश के तहत् प्रस्तुत की गयी है, जिसका कोई कानूनी वजूद नहीं है।

3. यह कि वाद उक्त में बिना किसी जांच किये एवं लेखपाल की रिपोर्ट की संस्तुति हलका कानूनगो, तहसीलदार महोदय जानसठ ने करके कानून के साथ खिलवाड़ भी किया गया है, क्योंकि एक लेखपाल गलत रिपोर्ट देता है और उसे बिना जांच किये संस्तुति करने पर हलका कानूनगो एवं तहसीलदार महोदय जानसठ भी दण्ड में पूर्ण रूप से भागी होते हैं।

उप जिलाधिकारी/उप ज़िला मजिस्ट्रेट न्यायालय जानसठ (मुजफ्फरनगर)

4. यह कि प्रार्थी के भाई अवतार सिंह पुत्र रघुननन्दन सिंह ने एक मुकदमा थाना रामराज में मु0अ0सं0-74/2013 धारा 384, 392, 504, 506, 427 आई0पी0सी0 के तहत् लेखपाल जयभगवान, लेखपाल नरेश विश्नोई, राहुल गोयल एडवोकेट आदि के खिलाफ दिनांक 1.04.2013 को पंजीकृत कराया है, जिसकी रंजिश पर लेखपाल जयभगवान ने अपने साथी हलका लेखपाल प्रताप के साथ मिलकर (दि० 15/5/13) गलत रिपोर्ट भेजकर न्यायालय को भी गुमराह किया है। इस कारण भी वाद हाजा खण्डित होने योग्य है।

R.O.F.

SDO (J)
26/8/13

5. यह कि वाद उक्त में वर्णित भूमि पर प्रार्थी/उत्तरदाता द्वारा रजिस्टर्ड मुख्तारेआम जो सब रजिस्ट्री कार्यालय जानसठ में दर्ज है, के आधार पर काबिज काश्त है और मौके पर भी प्रार्थी

क्रमश: ....

मुख्तारेआम द्वारा परवरिशकर्दा फसल खडी हुई है। हलका लेखपाल ने रंजिशन एवं ब्लैकमेल करने की नीयत से गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस कारण भी वाद हाजा खण्डित होने योग्य है (मुख्तारेआम की छायाप्रति संलग्न है)।

6. यह कि लेखपाल सराय खादर प्रताप सिंह को न्यायालय में तलब कर लिया जाये एवं उससे यह जानकारी ली जाये कि उसके क्षेत्र में जितनी भूमि सरकारी है और उन समस्त सरकारी भूमियों पर किसके कब्जे हैं। लेखपाल जयभगवान ने अपने साथी हलका लेखपाल प्रताप सिंह के साथ मिलकर सरकारी जमीनों पर अपने व्यक्तियों के कब्जे करा रखे हैं, क्योंकि पूर्व में इस क्षेत्र का चार्ज लेखपाल जयभगवान पर था। सराय खादर क्षेत्र में ऐसी अनेक जमीन है, जिनमें मूल खातेदारों का कोई अता-पता नहीं है और लेखपालों के द्वारा ऐसी जमीन चिन्हित करके स्वयं व अपने एजेंटों के माध्यम से अवैध कब्जे कर रखे हैं। इस कारण भी वाद हाजा खण्डित होने योग्य है।

7. यह कि हलका लेखपाल को न्यायालय में तलब कर उसके बयान कलमबद्ध कराये जाये कि उसके क्षेत्र में लालपुर अह0, शाहपुर, रहडवा कदीम, रहडवा जदीद, मजाहिदपुर अह0, मजाहिदपुर गैर अह0 में वर्णित समस्त खातेदार अपनी भूमि पर काबिज काश्त हैं, कितने खातेदारों की मृत्यु हो चुकी है और आज तक भी उन खातेदारों के वारिस तसदीक न करके भूमि मूल खातेदार के नाम चली आ रही है? कितने खातेदार खतौनी में वर्णित पते पर निवास नहीं कर रहे हैं? उनकी भूमि पर किसका कब्जा है? ऐसे खातेदार जिनका कोई अता-पता नहीं है, उनके खिलाफ आज तक कोई रिपोर्ट क्यों नही भेजी गई है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हलका लेखपाल को न्यायालय में तलब कर उसके बयान कराये जाकर प्रार्थी को उससे जिरह का अवसर देकर न्यायालय के समक्ष स्वयं स्पष्ट हो जायेगा कि किस तरह भूमाफिया लेखपालों के भूमियों पर अवैध कब्जे हैं और वे कैसे ब्लैकमेल करके भारी रकम ऐंठने का कार्य कर रहे हैं। श्रीमान जी, लेखपालों का एक संगठित गिरोह है, जो लेखपाल जयभगवान के इशारों पर सरकारी जमीनों, ऐसे खातेदार जिनका अता-पता नहीं चिन्हित करके अवैध कब्जे एवं बिक्री का कार्य कर रहे हैं। इसका स्पष्ट उदाहरण है कि ग्राम शाहपुर में ऐसी अनेक सीलिंग आवंटी है, जिनका कोई अता-पता नहीं। उन खातेदारों की भूमि पर लेखपाल जयभगवान एवं उसके एजेंटों का कब्जा है। ग्राम शाहपुर परगना भुम्मा सम्भलहेडा में नत्थू पुत्र हरज्ञान नामक सीलिंग आवंटी के नाम पट्टा दर्ज है, जिसका कोई अता-पता नहीं। उक्त पट्टेदार की भूमि पर स्वयं लेखपाल जयभगवान ने अवैध कब्जा कर रखा है। पहले तो अपनी रिपोर्ट में पट्टेदार का कोई अता-पता न होने के कारण जगदीप पुत्र महेन्द्र व महेन्द्र पुत्र कुन्दन के खिलाफ अवैध कब्जा करने का मुकदमा दर्ज करा देता है और फिर अपने बयान न्यायालय श्रीमान तहसीलदार जानसठ में देता है कि उस जमीन पर नत्थू पुत्र हरज्ञान का कब्जा है जबकि नत्थू पुत्र हरज्ञान नाम का कोई व्यक्ति ग्राम शाहपुर में कभी नहीं रहा और न ही उसका कभी ग्राम शाहपुर की वोटर लिस्ट में नाम अंकित है। ऐसे अनेक पट्टेदार हैं, जिनका कोई पता नहीं कि वे जिन्दा

उप जिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय जानसठ (मुजफ्फरनगर)

क्रमशः ......

हैं या मर गये। ऐसी समस्त जमीनों पर लेखपालों के कब्जे हैं। प्रार्थी का उद्देश्य न्यायालय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना है कि लेखपाल किस तरह से फर्जीवाडा करके भूमियों पर अवैध कब्ज कर रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, क्यों? सिर्फ हम सीधे-सीध काश्तकारों को हलका लेखपाल ब्लैकमेल करने नीयत से झूठी रिपोर्ट भेज देते हैं और तहसील अधिकारी/कर्मचारी आँख बन्द करके उनकी झूठी फर्जी रिपोर्ट की संस्तुति कर देते हैं, जिससे हमारा आर्थिक, मानसिक उत्पीडन किया जा रहा है।

निरस्त

INDIA FIVE RUPEES Rs.5

8. यह कि उक्त भूमि लावारिस नहीं है। प्रार्थी द्वारा मुख्तारेआम उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। इस कारण भी नोटिस वापिस लिया जाकर वाद हाजा खण्डित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

9. यह कि हलका लेखपाल किस तरह फर्जीवाडा करते हैं। इसका एक साक्ष्य न्यायालय में प्रार्थी आपत्तिकर्ता दे रहा है। ग्राम हटियावाला कदीम परगना भुम्मा सम्भलहेडा के खसरा नं0-1 में वर्णित खातेदार सुरेन्द्र कुमार पुत्र काशीराम गौतम व चरण सिंह पुत्र अमर सिंह व रविन्द्रपाल पुत्र अमर सिंह निवासीगण रामराज के नाम भूमि अंकित थी। जिनकी कुछ भूमाफियाओं के द्वारा द्वारा फर्जी वसीयत बनाकर भूमि अपने नाम करायी थी, जिसमें वसीयत जांच उपरान्त सब रजिस्ट्री कार्यालय में पंजीकृत न होने के कारण दाखिल खारिज निरस्त करके भूमि मूल खातेदारों के नाम दर्ज की गयी, जिसकी जानकारी हलका लेखपाल को पूरी है। मूल खातेदारों का कोई अता-पता नहीं है और वे रामराज में नहीं रहते हैं। इस प्रकार भूमि लावारिस है, किन्तु हलका लेखपाल के द्वारा भूमि लावारिस होने की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी, क्योंकि जिन भूमाफियाओं ने फर्जी तरीके से भूमि अपने नाम करायी थी, वर्तमान में भी वे ही काबिज काश्त हैं और हलका लेखपालका संरक्षण प्राप्त है और उसकी उन भूमियों में हिस्सेदारी है। इससे स्वयं सिद्ध है कि हलका लेखपाल किस तरह रिपोर्ट देते हैं और किस तरह रिपोर्ट छिपाते हैं। हलका लेखपाल को मय रिकार्ड के न्यायालय में तलब कर लिया जाये तो सत्यता स्वयं सिद्ध हो जायेगी।

उप ज़िलाधिकारी/उप ज़िला मजिस्ट्रेट न्यायालय जानसठ (मुजफ्फरनगर)

10. यह कि उपरोक्त कारणों के आधार पर वाद हाजा खण्डित करने की कृपा करें।

आपकी अति कृपा होगी।

दिनांक :

संलग्नक :-

1. प्रथम सूचना रिपोर्ट की छायाप्रति।

प्रार्थी,

गुरमीत सिंह पुत्र श्री रघुनन्दन सिंह निवासी ग्राम रामराज परगना भुम्मा सम्भलहेडा तहसील जानसठ जिला मुजफ्फरनगर हाल निवासी सैनिक फार्म, नई दिल्ली।

Copyed By...Photo Copy
Compared By ...
Words...600
Date of Application...16-4-14
Date of Notice...17-4-14
Date of Delivery...18-4-14
Stamp...5-00

सत्य प्रतिलिपि
रीडर
उप जिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट
जानसठ
15.4.14